इभारत के राजपत्र, असाधारण, भाग २, खंड ३, उपखंड (त्त) में प्रकाशनार्थट

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

इकेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डट

अधिसूचना

नई दिल्ली, १७ अक्तूबर, २०११

आय-कर

का.आ. २३९४(अ).--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का १) की धारा २९५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, १९६२ का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

१ (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, २०११ है ।

(२) ये १ नवम्बर, २०११ को प्रवृत होंगे ।

२. आय-कर नियम, १९६२ में,-

(अ) नियम ११४ में,-

(क) उपनियम (१) में, 'फार्म ४९क ' शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, 'यथास्थिति, या प्ररूप ४९कक' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (३) में,-

(त) 'लेखा वर्ष' शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर, 'वित्त वर्ष' शब्द रखे जाएंगे ;

(त्त) मद (त्त्त) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

'(त्ध) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कोई राशि या आय या रकम अभिप्राप्त करने का हकदार है, जिस पर अध्याय १७ख के अधीन किसी वित्त वर्ष में, ऐसे वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले कर की कटौती की जानी है ।';

(ग) उपनियम (४) में, 'नीचे दी गई सारणी में स्तंभ २ में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में उपनियम (१) में उल्लिखित आवेदन के साथ आवेदक की पहचान तथा पते के सबूत के रूप में स्तंभ ३ में वर्णित दस्तावेज भी लगाए जाएंगे ' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, 'नीचे दी गई सारणी में स्तंभ २ में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में उपनियम (१) में उल्लिखित आवेदन के साथ आवेदक की पहचान तथा पते के सबूत के रूप में स्तंभ ३ में वर्णित प्ररूपों में फाइल की जाएगी और इसके साथ स्तंभ ४ में वर्णित दस्तावेज संलग्न होंगे ' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	आवेदक	प्ररूप	पहचान और पते के सबूत के रूप में दस्तावेज
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	व्यष्टि, जो भारत का नागरिक है	४९क	(त) पहचान का सबूत - (क) विद्यालय छोडने का प्रमाणपत्र ; या (ख) दसवीं का प्रमाणपत्र; या (ग) मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था की डिग्री; या (घ) निक्षेपागार खाता; या (ङ) क्रेडिट कार्ड; या (च) बैंक खाता ; या

			(छ) पानी का बिल; या (ज) राशन कार्ड; या (झ) संपत्ति कर निर्धारण आदेश; या (ञ) पासपोर्ट; या (ट) मतदाता पहचानपत्र; या (ठ) चालन अनुज्ञप्ति; या (ड) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगरनिगम पार्षद या राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र, की प्रति । किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पहचान का सबूत माना जाएगा । (त्) पते का सबूत- (क) बिजली का बिल ; या (ख) टेलीफोन का बिल ; या (ग) निक्षेपागार खाता; या (घ) क्रेडिट कार्ड; या (ङ) बैंक खाता; या (च) राशन कार्ड; या (छ) नियोक्ता प्रमाणपत्र; या (ज) पासपोर्ट; या (झ) मतदाता पहचानपत्र; या (ञ) संपत्ति कर निर्धारण आदेश; या (ट)चालन अनुज्ञप्ति; या (ठ) भाटक की रसीद; या (ड) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगरनिगम पार्षद या राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र, की प्रति । टिप्पण १ : किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पहचान का सबूत माना जाएगा । टिप्पण २ : किसी भारतीय नागरिक के भारत से बाहर रहने की दशा में निवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाह्य (एनआरई) बैंक खाता विवरणियों की प्रति ।
२.	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	४९क	(क) आवेदन की तारीख को सभी सहदायिकों के नाम, पिता का नाम और पते को दर्शाते हुए हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता का शपथपत्र ; और (ख) हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के संबंध में क्रम सं. १ में उल्लिखित व्यष्टि की दशा में पहचान और पते के सबूत के रूप में लागू

			किसी दस्तावेज की प्रति ।
३.	भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी	४९क	कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ।
४.	फर्म (जिसमें भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत सीमित भागीदारी भी है)	४९क	(क) फर्मों/सीमित दायित्व भागीदारियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ; या (ख) भागीदारी विलेख की प्रति ।
५.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यास)	४९क	(क) न्यास विलेख की प्रति ; या (ख) पूर्त आयुक्त द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ।
६.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति)	४९क	(क) करार की प्रति ; या (ख) पूर्त आयुक्त या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ; या (ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से जारी कोई अन्य दस्तावेज, जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान या पता साबित होता हो ।
७.	व्यष्टि जो भारत के नागरिक नहीं हैं	४९कक	(i) पहचान का सबूत :- (क) पासपोर्ट की प्रति ; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति; या (घ) 'अपोसिल '(उन देशों के संबंध में जो एक अपोसिल अभिसमय, १९६१ के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक की प्रति । (ii) पते का सबूत :- (क) पासपोर्ट की प्रति ; या (ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड की प्रति; या (ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति; या (घ) 'अपोसिल '(उन देशों के संबंध में जो एक अपोसिल अभिसमय, १९६१ के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक की प्रति । (ङ) निवास के देश में बैंक खाता विवरणी की प्रति; या (च) भारत में अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरणी की प्रति; या (छ) भारत में निवास के प्रमाणपत्र या राज्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जारी

			निवासी परमिट की प्रति; या (ज) विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी भारतीय पता उपदर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति; या (झ) प्रदान किए गए वीजा की प्रति और भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या संविदा की प्रति तथा नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते (मूल प्रति) का प्रमाणपत्र ।
८.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	४९कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की 'अपोसिल '(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, १९६१ के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
९.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत कंपनी	४९कक	(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की 'अपोसिल '(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, १९६१ के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
१०.	भारत से बाहर बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत फर्म	४९कक	(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की 'अपोसिल '(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, १९६१ के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
११.	भारत से बाहर बनाया गया व्यक्तियों का संगम (न्यास)	४९कक	(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की 'अपोसिल '(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, १९६१ के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
१२.	भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न) या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति या कोई अन्य निकाय (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो)	४९कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की 'अपोसिल '(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, १९६१ के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यकतः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।

(ख) परिशिष्ट २ में, प्ररूप ४९क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

अधिसूचना सं० ५६/२०११ फा० सं० १३३/४८/२०११-टीपीएल ।

(आशीष मोहंती)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम अधिसूचना सं० का.आ. ९६९ (अ) दिनांक २६ मार्च, १९६२ द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना सं० का.आ० १४९७ (अ) आयकर (छटवां संशोधन) नियम २०११ दिनांक १.७.२९११ द्वारा संशोधित किया गया था ।

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड- () में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

***

<u>शुद्धिपत्र</u>

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर, 2011

<u>आयकर</u>

का.आ.2468(अ)- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड- () में दिनांक 17 अक्तूबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 56/2011, का. आ. 2394 (अ), दिनांक 17 अक्तूबर, 2011 में वस्तुतः

2. उक्त अधिसूचना के भाग ख में प्रपत्र 49क एवं प्रपत्र 49कक को निम्नलिखित प्रपत्र 49क एवं प्रपत्र 49कक से प्रतिस्थापित किया जाएगा, वस्तुतः-

3.   राजपत्र अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेंगी 1

अधिसूचना सं. 58/2011/फा.सं. 133/48/2011- एस. ओ. (टीपीएल)

(आशीष मोहंती)
अवर सचिव, भारत सरकार